महत्वपूर्ण एव समयबद्व /आवश्यक/तत्काल

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Website :- http://pwd.uk.gov.in E-Mail :- eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–537/DS/IT/2018 दिनांकः 26/09/2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता
पौड़ी/टिहरी/देहरादून/
अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पिथौरागढ
लोक निर्माण विभाग

विषय :– "Contractor Performance Evaulation System" एवं "Road Damage & Accident Reporting System" Software में मासिक/त्रैमासिक Entry के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित आपको अवगत कराना है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में **"Contractor Performance Evaulation System" एवं "Road Damage & Accident Reporting System" Software** संचालित किये जा रहे हैं।

"Contractor Performance Evaulation System" Software में त्रैमासिक माह की सूचना एवं "Road Damage & Accident Reporting System" Software विगत माह की सूचना चालू माह की 01 से 10 तारीख तक फीड की जाती है।

संज्ञानित रहे कि भविष्य में माह की 10 तारीख के पश्चात् किसी भी प्रकार की सूचना फीड नहीं की जा सकेगी।

उक्त Software में Entry करने हेतु आपको एस0एम0एस0/दूरभाष से भी लगातार अवगत कराया जाता है, किन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह स्वस्थ कार्यप्रणाली नहीं है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों **Software** विभागीय प्रगति हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, दृष्टिगत निर्णय लिया जाता है कि **Software में मासिक/त्रैमासिक Entry** की अवधि समाप्त होने के पश्चात् **Entry** शत् – प्रतिशत न होने की दशा में उक्त प्रकरण प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर–प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता ....वृत्त,..।
4. अधिशासी अभियन्ता..............................खण्ड,...।
5. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड